



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक-जविप्रा/उपा./जोन-14/2023/डी-757

दिनांक 28.3.23

## सार्वजनिक सूचना

जोन-14 के क्षेत्राधिकार में निजी खातेदारी की योजना के नियमन शिविर आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क. सं.	प्रस्तावित कैम्प दिनांक	विकासकर्ता	योजना का नाम	शिविर स्थल
1.	29.03.2023	रामराजपुरा गृ. नि.स.स.लि.	प्रेम विहार	जोन-14 कार्यालय, जविप्रा परिसर, जयपुर



उपायुक्त जोन-14,  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर।

प्रतिलिपि:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
- रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त जोन-14,  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दुरभाष : Direct Line-0141-2576296(O), EPBX-0141-2569696, Ext.: 8380, Fax-0141-2574555, e-mail:

dc.zone14.jda@rajasthan.gov.in



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

[www.jda.urban.rajasthan.gov.in](http://www.jda.urban.rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-जविप्रा/उपा./जोन-09/2023/डी-1799

दिनांक:-28/3/2023

## सार्वजनिक सूचना

निम्न आवेदको द्वारा सम्पत्ति के नाम हस्तान्तरण / लीजडीड हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.स	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	159	90.00 वर्ग मीटर	खुसर विस्तार	श्रीमती गोपाली देवी पत्नी स्व. श्री कल्याण सहाय	श्री मुकेश पुत्र श्री कल्याण सहाय	रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र के आधार पर।
2.	182	90.00 वर्ग मीटर	खुसर विस्तार	श्रीमती गोपाली देवी पत्नी स्व. श्री कल्याण सहाय	श्री कल्याण सहाय पुत्र श्री जयनारायण	रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र के आधार पर।
3.	180	90 वर्ग मीटर	खुसर विस्तार	श्री घनश्याम पुत्र श्री कल्याण सहाय	श्रीमती सुनिता पत्नी स्व. श्री घनश्याम	रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र के आधार पर।

उपायुक्त जोन-9  
जयपुर जयपुर-9  
जयपुर, जयपुर

प्रतिलिपि:-जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन कराया जाकर समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का करावें।

उपायुक्त जोन-9  
जयपुर जयपुर-9  
जयपुर, जयपुर



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपायुक्त जोन-1/2023/डी- 1195

दिनांक:- 28/01/23

जनसम्पर्क अधिकारी  
जविप्रा, जयपुर।

## आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	भूखण्ड संख्या	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा की योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्रीमती सुमन शर्मा	14	मित्र गृह नि.स.स. लि.	चन्दनबाड़ी -II	पट्टा	अपंजीकृत इकरारनामा

र  
उपायुक्त जोन-1  
जविप्रा, जयपुर।



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर


www.jda.urban.rajasthan.gov.in

## यू.ओ. नोट

**विषय:**— लोक सूचना का समाचार पत्र में प्रकाशन करवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम खेड़ा जगन्नाथपुरा, तहसील चाकसू, के संलग्न खसरा अनुसार विज्ञप्ति का प्रारूप तैयार कर राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाने हेतु प्रेषित है।

संलग्न — 1

  
जयपुर विकास प्राधिकरण  
जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

यू.ओ. नोट क्रमांक: एफ/ज.वि.प्रा./जोन-14/2023/डी-758

दिनांक: 28.3.23

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-14  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/102470

दिनांक: 28/03/2023

लोक सूचना

श्री ASHISH GOYAL पुत्र श्री NIRMAL GOYAL जाति GOYAL निवासी C-248, DAYANDAND MARG, TILAK NAGAR, JAIPUR, RAJASTHAN 302004

श्री RAVI KUMAR SHARMA पुत्र श्री RAMU LAL SHARMA जाति BRAHMAN निवासी CHAMTA WALI DHANI, SIROLI, JAIPUR, RAJASTHAN 303012

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	खेडा जगननाथपुरा, चाकसू (जयपुर)	RAVI KUMAR SHARMA AND ASHISH GOYAL	50	5000	0.5
				कुल	0.5

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 28-03-2023 को जारी की गयी।

उपाधिकृत अधिकारी जोन-14  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन-2/2023/डी- 725

दिनांक 28.3.23

## आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. स.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना /जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमती मन्जुला अग्रवाल पत्नी श्री श्याम सुन्दर अग्रवाल	श्रीमती सुशीला खण्डेलवाल पत्नी श्री सत्यनारायण खण्डेलवाल	7/278	45.00 व.मी.	जविप्रा	विद्याधर नगर	लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा	मूल लीज डीड गुम
2	श्रीमती राजकुमारी शर्मा पत्नी श्री शिवकुमार शर्मा, श्रीमती मनु शर्मा पत्नी श्री कपिल शर्मा कपिल शर्मा, शिप्रा शर्मा पत्नी श्री मोहित शर्मा, श्री अभिषेक शर्मा पुत्र श्री शिव कुमार शर्मा	श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री प्रहलाद सिंह	डी-448	50.00 व.ग.	जविप्रा	विद्याधर नगर	नाम हस्तान्तरण एवं फ्री होल्ड पट्टा	सजरा शपथ पत्र, राशन कार्ड की प्रति इत्यादि
3	श्री निरज शेखावत पुत्र श्री सार्दुल सिंह	श्रीमती उमा कवर पत्नी श्री चन्द्रवीर सिंह (गृ.नि.स.स.जारी आवंटन पत्रानुसार)	107	266.66 व. ग.	मित्र गृ.नि.स.स.	स्कीम नम्बर 6 कृष्णा कॉलोनी	फ्री होल्ड पट्टा	गृ.नि.स.स. द्वारा जारी आवंटन पत्र की प्रति, रजिस्टर्ड उपहार पत्र इत्यादि

उपायुक्त जोन-2

प्रतिलिपि : जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा0, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004  
दूरभाष-{0141-2574768} (O) ईपीबीएक्स-0141-2569696 Ext. 8820 : फ़ैक्स +91-141-2574555

# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

पृथ्वीराज नगर(उत्तर), कार्यालय, चित्रकूट स्टेडियम, वैशाली नगर।

क्रमांक:-जविप्रा/उपा./पीआरएन-उत्तर(प्रथम)/2023/डी-

278

दिनांक:- 27/3/23

:- आम सूचना :-

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (व.ग.)	गृ.नि.स.स.	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री सुशील कुमार सोनी पुत्र श्री प्रहलाद राम सोनी एवं श्रीमती सुमन सोनी पत्नी श्री सुशील कुमार सोनी	श्री सुशील कुमार सोनी पुत्र श्री प्रहलाद राम सोनी एवं श्रीमती सुमन सोनी पत्नी श्री सुशील कुमार सोनी, श्री आसु सिंह पुत्र श्री ओनाड सिंह, श्री भूपेन्द्र सिंह पुत्र सत्यनारायण सिंह एवं श्री महेन्द्र सिंह पुत्र सत्यनारायण सिंह	भू.सं.-01, दु.सं. 6,7,8	636.94	शंकर भवन	मंगल नगर	फ्री-होल्ड पट्टे हेतु	जविप्रा द्वारा जारी लीजडीड एवं सोसायटी द्वारा जारी दुकानों के मूल आवंटन पत्र, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र एवं श्रंखलाबद्ध दस्तावेजों के आधार पर।
2	श्रीमती पूनम शेखावत पत्नी श्री लोकपाल सिंह	श्रीमती पूनम शेखावत पत्नी श्री लोकपाल सिंह	273	88.88	महाराणा प्रताप	श्री बालाजी धाम	फ्री-होल्ड पट्टे हेतु	सोसायटी द्वारा जारी मूल आवंटन पत्र के आधार पर।
3	श्री संजीव सिंह पुत्र श्री बीरी सिंह	श्रीमती सायर कंवर पत्नी डा. रघुबीर सिंह	69	375	मोती भवन	आनन्द नगर	फ्री-होल्ड पट्टे हेतु	सोसायटी द्वारा जारी मूल आवंटन पत्र, अपंजीकृत इकरारनामा, रजिस्टर्ड उपहार प. एवं श्रंखलाबद्ध दस्तावेजों के आधार पर।

//  
उपायुक्त पीआरएन-उत्तर-1  
जविप्रा,जयपुर।

प्रतिलिपि :- जनसम्पर्क अधिकारी जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है की राज्य सरकार के आदेशों के क्रम में विज्ञप्ति का प्रकाशन करवाया जाना सुनिश्चित करें।

उपायुक्त पीआरएन-उत्तर-1  
जविप्रा,जयपुर।  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-12  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/102431

दिनांक: 27/03/2023

लोक सूचना

श्री MEHARVAN SINGH CHAUHAN पुत्र श्री SHYAM SINGH CHAUHAN जाति RAJPUT निवासी E 19  
ANSAL SUSHANT CITY 1ST KALWAR ROAD MANCHWA JAIPUR

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का पर्यटन इकाई प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने  
अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	मांचवा, कालवाड (जयपुर)	MAHARVAN SINGH CHAUHAN	401/3	2150	0.215
2.	मांचवा, कालवाड (जयपुर)	MAHARVAN SINGH CHAUHAN	402/1	3035	0.3035
				कुल	0.5185

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 27-03-2023 को जारी की गयी

प्राधिकृत अधिकारी जोन-12  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर  
जयपुर विकास प्राधिकरण  
जयपुर





# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jdn.urban.rajasthan.gov.in

## आम सूचना

निम्न आवेदन द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुरार

है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटनी/लीजडीडधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल वर्ग मी.	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिराके के लिए आवेदन किया गया।	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्रीमती गीता शर्मा पत्नी श्री राजीव कुमार	श्रीमती गीता शर्मा पत्नी श्री राजीव कुमार	23	90.75	मीनावाला गृ.नि.स.स. लि.	कीर्ति सागर-आर	लीजडीड	आवटन पत्र, साईट प्लान व रसीद प्रमाण पत्र
2.	श्री प्रभात तिवारी पुत्र श्री रमेशचंद	श्री प्रभात तिवारी पुत्र श्री रमेशचंद	21	85.00	मीनावाला गृ.नि.स.स. लि.	कीर्ति सागर-आर	लीजडीड	आवटन पत्र, साईट प्लान व रसीद प्रमाण पत्र
3.	श्री राजीव कुमार पुत्र श्री रमेशचंद	श्री राजीव कुमार पुत्र श्री रमेशचंद	22	85.00	मीनावाला गृ.नि.स.स. लि.	कीर्ति सागर-आर	लीजडीड	आवटन पत्र, साईट प्लान व रसीद प्रमाण पत्र

उपायुक्त  
पृथ्वीराज नगर (दक्षिण-प्रथम)  
जविप्रा, जयपुर।

जन संपर्क अधिकारी  
जविप्रा, जयपुर

यू.ओ.नोट क्रमांक जविप्रा/उपा.पृथ्वीराज नगर दक्षिण-प्रथम/2023/डी-7/7/28 03.2023

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष-+91-141-सम्बन्धित कार्यालय) : ईपीबीएक्स +91-141-2569696 एक्सटेंशन: (सम्बन्धित कार्यालय): फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : (सम्बन्धित अधिकारी का ईमेल)

2022.docx



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

## यू.ओ. नोट

**विषय:**— लोक सूचना का समाचार पत्र में प्रकाशन करवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम खेड़ा जगन्नाथपुरा, तहसील चाकसू, के संलग्न खसरा अनुसार विज्ञप्ति का प्रारूप तैयार कर राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाने हेतु प्रेषित है।

संलग्न - 1

उपायुक्त जोन-14  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

यू.ओ. नोट क्रमांक: एफ/ज.वि.प्रा./जोन-14/2023/डी-745

दिनांक: 22.3.23

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-14  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/102463

दिनांक: 27/03/2023

लोक सूचना

श्री SHANKAR LAL SHARMA पुत्र श्री LAXMI NARAYAN SHARMA जाति BRAHMAN निवासी  
VILLAGE PRAHLADPURA BEELWA JAIPUR

श्री GIRAJ PRASAD SHARMA पुत्र श्री PANCHU RAM SHARMA जाति BRAHMAN निवासी KHERA  
JAGANNATHPURA GONER SANGANER JAIPUR


ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	खेडा जगननाथपुरा, चाकसू (जयपुर)	GIRAJ PRASAD SHARMA & SHANKAR LAL SHARMA	304.	5400.	0.54
				कुल	0.54

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 27-03-2023 को जारी की गयी।

  
प्राधिकृत अधिकारी जोन-14  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर  
4/2